इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2024—फाल्गुन 25, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र.—1022—भू—अर्जन—2024.   इंदौर, दिनांक 24 फरवरी 2024

"प्रारूप—सोलह"

[नियम 19 (2)देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने की आशय की सूचना]

विज्ञप्ति क्र.—47.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 उपधारा (1) के अधीन एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस—09—ए (प्रस्तावित आर. ई.—02 मार्ग) ग्राम बिचौली हप्सी, जिला इंदौर बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किए गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैः—

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(1) श्रीमती चंदनबाला पति नरेन्द्रजी, पता—खातीपुरा इंदौर.			4/1 पार्ट	
	(2) श्रीमती निर्मलादेवी पति शिवकुमार डोलिया पता—महावीर नगर इंदौर.			4/2/1 पार्ट	
	(3) श्री इन्द्रभूषण पिता रामगोपाल डोलिया, पता—महावीर नगर इंदौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	4/2/2 पार्ट	0.137

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(4) मारूती सुजुकी इंडिया लि. तर्फे श्री संजय पिता आनंदराव, पता–1, नेल्सन मंडेला मार्ग, बसंतकुंज, नई दिल्ली.			4 /3/1 पार्ट	
	(5) बी. जे. रियल्डर्स प्रा. लि. श्री प्रवीण पिता मनु गंगवाल, पता–162, न्यू, पलासिया, इन्दौर.			4 /3/2 पार्ट	
2.	(1) श्रीमती निर्मलादेवी पति इन्द्रभूषण डोलिया पता–34, महावीर नगर, इंदौर.			5/1/1/1 पार्ट	
	(2) श्री इन्द्रभूषण पिता रामगोपाल डोलिया पता–महावीर नगर, इंदौर.			5/1/1/2 पार्ट	
	(3) श्री दिलीपकुमार पिता गेंदालाल, सुरेन्द्र कुमार पिता शांतिलाल, विमलकुमार पिता गेंदालाल, मनोहरलाल पिता सेवाराम, पता–268 साकेत नगर, इंदौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	5/1/2 पार्ट	
	(4) श्रीमती निर्मलादेवी पति इन्द्रभूषण डोलिया पता 34, महावीर नगर, इंदौर.			5/1/3/1 पार्ट	
	(5) श्री राहुलकुमार पिता रतनलाल जैन पता–27/1, रेसकोर्स रोड, इंदौर.			5/1/3/2 पार्ट	0.016
	(6) सतपुडा प्रापर्टीज प्रा. ल. तर्फे डायरेक्टर श्री अजय पिता रामगोपाल मुण्दडा पता–410/56, सिल्वर आर्केड, न्यू पलासिया.			5/2/1 पार्ट	
	(7) अनिन्दय पिता उमेश दीक्षित, पता–ए–5/6, त्रिवेणी राइनक्लेव, नई दिल्ली.			5/2/2 पार्ट	
	(8) श्री राकेश पिता स्व. श्री अशोक आसवानी, राजेन्द्रसिंह चौहान पिता स्व. श्री अनारसिंह चौहान, सत्यप्रकाश दीवान पिता ओमप्रकाश दीवान, पता–1353, स्कीम नंबर 114 पार्ट–1, 408, क्लासिक क्राउन 5/2 ओल्ड पलासिया, इंदौर.			5/2/3 पार्ट	
	(9) संतोषी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर तर्फे अध्यक्ष श्री अश्विन मेहता पता–ग्राम बिचौली हप्सी, इंदौर.			5/2/4 पार्ट	
	(10) श्रीमत्ती दीपिका पति पंकज हुमड, मीता पति–दिशांत शाह तर्फे आम मुख्तियार प्रतिमा पति निर्मल. पता–बंगाली चौराहा, बिचौली हप्सी, इंदौर.			5/2/5 पार्ट	
	(11) दि यूनिवर्सल टांसफार्म तर्फे श्रीमती सुधा पति अनिल राठी, पता–254, धार रोड, इंदौर.			5/3 पार्ट	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3)	श्री राजीव पिता अभय खुराना, पता–226, साकेत नगर, इंदौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	29/1/1 पार्ट	0.095
(4)	श्री शिखर पिता लक्ष्मीचन्द जैन पता 28, जागृति नगर, इंदौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	29/1/2 पार्ट	0.044
(5)	महीमा एसोसिएट्स को–ऑनर तर्फे सरदचंद्र पिता फकीरचंद्र पता–6, डॉ. हुसनसिंह भंडारी मार्ग, इंदौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	29/2 पार्ट	0.089
(6)	मेसर्स अनिकेत कमोडटेजी प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री दिनेश धनेतिया पिता बंशीलाल धनेतिया व श्रीमती प्रतिभा पति विमल गंगवाल, इन्दौर मध्यप्रदेश निजी संस्था	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	29/3 पार्ट	0.012
(7)	शासकीय (चारागाह)	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	1/2 पार्ट 1/4 पार्ट 1/5 पार्ट	1.338
			ग्राम बिचौली हप्सी की निजी भूमि का योग		**0.393**
			ग्राम बिचौली हप्सी की शासकीय भूमि का योग		**1.338**
				महायोग	**1.731**

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

(G-522)

गौरव बैनल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स संजीवनी रियल्टी फर्म जिसका पता–8, जाती कॉलोनी, रामबाघ, इंदौर जिसका पंजीयन कमांक 03–27–01–0462–23, दिनांक 3–2–2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री राजेंद्र अग्रवाल पिता श्री बाबूलाल अग्रवाल, 2. श्री अखिल जैन पिता श्री जय कुमार जैन थे. तत्पश्चात् दिनांक 3–2–2023 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री संस्कार गहलोत पिता श्री धर्मेन्द्र गहलोत भागीदारी फर्म मेसर्स संजीवनी रियल्टी में समिल्लित हो गये हैं एवं श्री अखिल जैन पिता श्री जय कुमार जैन भागीदारी फर्म मेसर्स संजीवनी रियल्टी से पृथक हो गए हैं. तत्पश्चात् दिनांक 5–7–2023 को भागीदारी संशोधन लेख 1. श्री नविन जैन पिता श्री जगदीश जैन, 2. श्री प्रेमचंद जैन पिता श्री खाचुराम जैन भागीदारी फर्म मेसर्स संजीवनी रियल्टी में समिल्लित् हो गये हैं तथा दिनांक 6–7–2023 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री संस्कार गहलोत पिता श्री धर्मेन्द्र गहलोत भागीदारी फर्म मेसर्स संजीवनी रियल्टी से पृथक हो गए है एवं दिनांक 17–1–2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा राजेंद्र अग्रवाल पिता श्री बाबूलाल अग्रवाल भागीदारी फर्म मेसर्स संजीवनी रियल्टी से पृथक हो गए हैं, प्रथकीय भागीदारों ने फर्म मेसर्स संजीवनी रियल्टी से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है एवं फर्म का पता एफ–31, फर्स्ट फ्लोर, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इंदौर (म.प्र.) हो गया है. यह विदित हो.

तर्फे–मे. संजीवनी रियल्टी,
(1. नविन जैन, 2 प्रेमचंद जैन)
Partner

(G-523)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार मीणा आत्मज श्री शिवचरण मीणा, निवासी वार्ड न. 7 मीणा नगर, कॉलोनी भोपाल, रोड कुरावर, कुरावर जिला–राजगढ़ (म.प्र.).

यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम तमन्ना मीणा अंकित हो गया है जो कि गलत है. उसका सही नाम वैष्णवी मीणा (Veshnavi Meena) है. जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी अंकित है. अतः मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैष्णवी मीणा (Veshnavi Meena) के नाम से जाना–पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तमन्ना मीणा)	**(वैष्णवी मीणा)**
(TAMANNA MEENA)	(VESHNAVI MEENA)
	पिता–राजकुमार मीणा.

(G-524)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, सुरभि कुसुमाकर पति श्री नितिन कुसमाकर सूचित करती हूँ कि, मेरे सभी दस्तावेजों में व शेयर सर्टिफिकेट पर मेरा पूर्व नाम सुरभि गुप्ता पिता श्री बृज मोहन गुप्ता दर्ज है, अब मैं उक्त दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम सुरभि कुसुमाकर पति श्री नितिन कुसमाकर दर्ज करवाना चाहती हूँ, उपरोक्त दोनों नाम सुरभि कुसुमाकर पति श्री नितिन कुसमाकर व नाम सुरभि गुप्ता पिता श्री बृज मोहन गुप्ता एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं, अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम से जाना–पहचाना, लिखा पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुरभि गुप्ता)	**(सुरभि कुसुमाकर)**
पिता–श्री बृज मोहन गुप्ता	पति–श्री नितिन कुसमाकर.

(G-525)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि, मेरा पूर्व नाम ललित कुमार पिता किशनलाल जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर मोहन लाल किशनलाल दर्ज है, अब मैं, अपने सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम ललित केलोनिया पिता श्री किशनलाल केलोनिया दर्ज करवाना चाहता हूँ, अब मैं, भविष्य में ललित केलोनिया पिता श्री किशनलाल केलोनिया नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. उपरोक्त दोनों नाम ललित केलोनिया पिता श्री किशनलाल केलोनिया व नाम ललित कुमार पिता किशनलाल एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

पुराना नाम	नया नाम
(ललित कुमार)	**(ललित केलोनिया)**
पिता–किशनलाल	पिता–श्री किशनलाल केलोनिया.

(G-526)

नाम परिवर्तन

मैं, हासिब खान (HASIB KHAN) पिता स्व. जाकिर हसन खान (LATE JAKIR HASAN KHAN), निवासी–पुरानी फैमली लाईन सागर, ब्लॉक नं.–11, छटवीं बटालियन विसबल जिला जबलपुर में मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम हासिब खॉन (HASIB KHAN) एवं मेरे पिताजी का नाम जाकिर हुसैन खॉन, (JAKIR HUSSAIN KHAN) गलत दर्ज है कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर आई. डी. एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम हासिब खान (HASIB KHAN) एवं मेरे पिताजी

स्व. जाकिर हसन खान (JAKIR HASAN KHAN) है. जो कि सही एवं सत्य है मैं, हासिब खॉन एवं हासिब खान ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानि मेरे हैं. किसी भी अन्य व्यक्ति के नहीं हैं. मेरे शासकीय अभिलेखों में सही नाम हासिब खान (HASIB KHAN) पिता स्व. जाकिर हसन खान (JAKIR HASAN KHAN) के नाम से जाना एवं पहचाना पढ़ा–लिखा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(हासिब खॉन)
(HASIB KHAN)
पिता–जाकिर हुसैन खॉन
(LATE JAKIR HUSAIN KHAN)

नया नाम
(हासिब खान)
(HASIB KHAN)
पिता–जाकिर हसन खान
(JAKIR HASAN KHAN).

(G-527)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोमा सिंह पत्नी श्री आलोक सिंह, निवासी ग्राम पल्हान, पोस्ट बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.) आधारकार्ड में मेरे पुत्र का नाम दिव्यराज सिंह तनय आलोक सिंह है. जो जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. उक्त नाम को मैं परिवर्तन कराकर वेदांत सिंह बघेल तनय आलोक सिंह लेख करना चाहती हूं. अतः जन्म प्रमाण–पत्र में सुधार करते हुए दिव्यराज सिंह के स्थान पर वेदांत सिंह बघेल लिखा, पढ़ा व समझा जाये.

शपथकर्ता
(रोमा सिंह)

(G-528)

नाम परिवर्तन

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम नारन (Naran) पुत्र स्व. श्री लाला राम सैनी था. अब मैंने अपना नाम बदलकर नारन सैनी (Naran Saini) पुत्र स्व. श्री लाला राम सैनी रख लिया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जाये.

पुराना नाम
(नारन)
(Naran)

नया नाम
(नारन सैनी)
(Naran Saini).

(G-529)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा घर का बोलता नाम मनु जैन है. जो मेरे किसान विकास–पत्र में अंकित है. जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम प्रियांशु जैन पिता श्री परेश जैन है. जो मेरे समस्त शैक्षणिक, दस्तावेज व शासकीय दस्तावेजों व आधारकार्ड, पेनकार्ड में दर्ज हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम प्रियांशु जैन (PRIYANSHU JAIN) पिता श्री परेश जैन के नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(मनु जैन उर्फ प्रियांशु जैन)
(MANU @ PRIYANSHU JAIN)

नया नाम
(प्रियांशु जैन)
(PRIYANSHU JAIN).

(G-530)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, इमदाद हुसैन पिता एहमद, निवासी–29/4, लोकेन्द्र भवन कपाउंड, आशियाना, रतलाम (म.प्र.) हूँ. मेरा नाम इमदाद हुसैन पिता एहमद अली व इमदाद हुसैन स्टेशनवाला पिता एहमद अली स्टेशनवाला दोनों नाम कुछ कागजादो में अंकित है. मेरा नाम इमदाद हुसैन पिता एहमद अली है. सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय रिकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में जहां कहीं भी हो वहां इमदाद हुसैन पिता एहमद अली माना जावे और इसी नाम से पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(इमदाद हुसैन)	**(इमदाद हुसैन)**
पिता–एहमद अली स्टेशनवाला	पिता–एहमद अली.

(G-531)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शहनाज अख्तर (SHAHNAZ AKHTAR) है. मेरे द्वारा शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम त्रुटिवश शहनाज बेग (SHAHNAZ BEG) अंकित हो गया है एवं मयूच्युअल फण्ड में शमनाज बेग (SHAMNAZ BEG) अंकित हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, आधारकार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में शहनाज अख्तर (SHAHNAZ AKHTAR) उल्लेखित है. जो सही है. वर्तमान में मुझे शहनाज अख्तर के नाम से सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में जाना व पहचाना जाये.

प्रार्थीनी

(शहनाज अख्तर)

पता–डी–25, वर्धमान ग्रीन पार्क,
अशोका गार्डन, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-532)

CHANGE OF NAME

I, Shubhangi Khade here by declare that, my maiden name was Neelam Panwar but after my marriage, I have changed my name as Neelam Panwar to Shubhangi Khade. So from now and in future I will be known as Shubhangi Khade for all purpose.

Old Name	New Name
(NEELAM PANWAR)	**(SHUBHANGI KHADE)**
	73-B, Sector, Indrapuri, Raisen Road, Bhopal (M.P.).

(G-533)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that , I have changed my name from “Pramod Kumar Kadu” to “Pramod Kumar Deshmukh”. Hence forth I shall be known as "Pramod Kumar Deshmukh" for all purposes.

Old Name	New Name
(PRAMOD KUMAR KADU)	**(PRAMOD KUMAR DESHMUKH)**
	Plot No. 57, Pushpak Nagar, Adhartall, Khiriya Khurd, Jabalpur (M.P.).

(G-534)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, I have changed my name from Anand Jain To Anand Singhai. Henceforth I shall be known as Anand Singhai for all purposes.

Old Name

(ANAND JAIN)

New Name

(ANAND SINGHAI)

770, Jawahar Ganj, Kamaniya Gate,

Jabalpur (M.P.).

(G-535)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, I have changed my name from "Seema Gupta" To "Seema Agrawal". Hence forth I shall be known as "Seema Agrawal" for all purposes.

Old Name

(SEEMA GUPTA)

New Name

(SEEMA AGRAWAL)

Near Boys School, Ward No. 04,

Lodhi Mohalla, Keolari,

Seoni (M.P.).

(G-536)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स वृन्दावन कंस्ट्रक्शन कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक 01–01–01–00285/13, दिनांक 15–10–2013 है के विद्यमान भागीदारों में नए भागीदार श्री करण खुराना आत्मज श्री रमेश खुराना, निवासी–E-3/12, अरेरा कॉलोनी, भोपाल सम्मिलित हों गए हैं. अब फर्म का संचालन श्री संजीव अग्रवाल आत्मज स्व. श्री एस. के. अग्रवाल, श्री अरुण अग्रवाल आत्मज स्व. श्री आर पी अग्रवाल एवं श्री करण खुराना आत्मज श्री रमेश खुराना के द्वारा किया जावेगा. आमजन सर्वजन सूचित हो.

मेसर्स वृन्दावन कंस्ट्रक्शन कम्पनी,

(संजीव अग्रवाल)

भागीदार.

(G-537)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रेखा पतकी (Rekha Patki) पत्नी स्व. श्री दीपक पतकी, पता–एल. आई.जी–150, मुखर्जी नगर, देवास कॉम्पलेक्स के पास, वार्ड नं. 11, जिला देवास (म.प्र.). मेरे विवाह के बाद मेरा नाम ज्योति पतकी (Jyoti Patki) रखा गया था. किंतु मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेज/आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पास इत्यादी के अनुसार मैं श्रीमती रेखा पतकी (Rekha Patki) पत्नी स्व. श्री दीपक पतकी के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती रेखा पतकी (Rekha Patki) पत्नी स्व. श्री दीपक पतकी के नाम से ही जाना–पहचाना एवं पुकारा जाए और भविष्य में भी मैं इसी नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम

(ज्योति पतकी)

(Jyoti Patki)

नया नाम

(रेखा पतकी)

(Rekha Patki)

पत्नी–स्व. दीपक पतकी.

(G-538)

नाम परिवर्तन

मैं, आशुतोष चौकसे , पिता पुनाराम चौकसे , पता नरसिंगपुर रोड बिंद्रा कॉलोनी, चौकसे हाउस, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, शैक्षणिक रिकार्ड में मेरे पिताजी का नाम त्रुटिवश पी आर चौकसे (P R CHOUKSEY) दर्ज है जो की उपनाम है. जबकि अन्य दस्तावेज में पिता का पूरा नाम पुनाराम चौकसे (PUNARAM CHOUKSEY) दर्ज है. मेरे पिता का नाम P R CHOUKSEY एवं PUNARAM CHOUKSEY उक्त दोनों नाम एक दी व्यक्ति के है. अतः भविष्य में मेरे पिता जी का सही नाम PUNARAM CHOUKSEY से जाना–पहचाना, लिखा, पढ़ा जावे.

आवेदक

(आशुतोष चौकसे)

(G-539)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम राधा जाधव तृतीय वर्ष दर्ज है तथा मेरा सही नाम लक्ष्मी जाधव है, जों कि समस्त दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक के अनुसार लक्ष्मी जाधव सही है उसी को सही पढ़ा वह समझा जावे.

आवेदक

(लक्ष्मी जाधव)

पता–7/5, विजय नगर, इन्दौर.

(G-540)

CHANGE OF NAME

I, SONU THAKUR D/o DEVI PRASAD THAKUR hereby declare that I have changed my name as SURYANSHI THAKUR D/o DEVI PRASAD THAKUR so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

(SONU THAKUR)

New Name

(SURYANSHI THAKUR)

Address:165, Pushparatna Avenue, Badiya Keema, Indore (M.P.).

(G-541)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रार्थीया चमेली देवी बरमेचा पति श्री ज्ञानमलजी, निवासी–2, नजरबाग, बैंक कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.) एवं मुझ प्रार्थीया को चमेली देवी जैन एवं चमेली देवी बरमेचा दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम मुझ प्रार्थीया के ही है एवं भविष्य में मुझ प्रार्थीया को चमेली देवी बरमेचा के नाम से ही जान–पहचाना जावे.

भवदीय

(चमेली देवी बरमेचा)

पति–श्री ज्ञानमलजी .

(G-542)

नाम परिवर्तन

मेरे विवाह पूर्व के दस्तावेजों में अपुर्वा खंडेलवाल पिता कमलकांत खंडेलवाल (Apoorva Khandelwal D/o Kamalkant Khandelwal) नाम अंकित रहा है. किन्तु विवाह पश्चात् मेरा नाम अपुर्वा गुप्ता पति शिवम गुप्ता (Apoorva Gupta W/o Shivam Gupta) हो गया है. जो भविष्य में, मुझे अपुर्वा गुप्ता पति शिवम गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(अपुर्वा खंडेलवाल)

(APOORVA KHANDELWAL)

पिता–कमलकांत खंडेलवाल

Kamalkant Khandelwal

नया नाम

(अपुर्वा गुप्ता)

(APOORVA GUPTA)

पति–शिवम गुप्ता

W/o Shivam Gupta

निवासी–01, यात्रा मैदान रोड पानी की टंकी के पास कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.).

(G-543)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुलदीप सिंह लबाना पिता श्री आत्मा सिंह, निवासी–सर्वे नम्बर 108/3, चुना भट्टी के पास, साई विहार कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.) मेरी पुत्री का नाम अंकसूची में हरजीत कौर (Harjeet Kaur) अंकित है. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तन करवाकर जपलीन कौर (Japleen Kaur) रखना चाहता है. उक्त दोनों नाम मेरी पुत्री के ही है व भविष्य में मेरी पुत्री को जपलीन कौर (Japleen Kaur) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(हरजीत कौर)
(Harjeet Kaur)

नया नाम
(जपलीन कौर)
(Japleen Kaur)
प्रार्थी,
कुलदीप सिंह लबाना,
पिता–श्री आत्मा सिंह.

(G-544)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुतबुद्दीन आलोटवाला पिता श्री जकियुद्दीन आलोटवाला, निवासी–78, जवाहर मार्ग, रतलाम (म.प्र.). मुझ प्रार्थी को कुतबुद्दीन पिता श्री जकिउद्दीन बोहरा के नाम से भी जाना–पहचाना जाता रहा है. वर्तमान में मैं, प्रार्थी कुतबुद्दीन आलोटवाला पिता जकियुद्दीन आलोटवाला के नाम से जाना जाता हूँ.

पुराना नाम
(कुतबुद्दीन)
पिता–जकिउद्दीन

नया नाम
(कुतबुद्दीन आलोटवाला)
पिता–जकियुद्दीन आलोटवाला

(G-545)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रेमलता तोमर पति श्री आनंदचारी सिंह तोमर, निवासी–5, नं. स्टाफ के पास शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे पति के पेंशन पेमेंट कार्ड भारतीय नौसेना में मेरा गलत नाम लता तोमर अंकित है. मेरा सही नाम प्रेमलता तोमर पति श्री आनंदचारी सिंह तोमर है.

पुराना नाम
(लता तोमर)

नया नाम
(प्रेमलता तोमर)
पत्नी–श्री आनंदचारी सिंह तोमर.

(G-546)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सत्यम प्रिन्टर्स एंड पेपरकन्वर्टर्स, 36, 37, 52, 53 उमरिया डुंगरिया, इंडस्ट्रिअलएरिया फेज–II, जबलपुर, मध्यप्रदेश, 483001 (GST-23AEAFS3993N1ZJ) जिसका पंजीयन क्रमांक 04–14–01–0105–23, दिनांक 20 जुलाई 2023 है.

उक्त फर्म में (1) असीम गुप्ता–आत्मज श्री अजय कुमार साल्या, (2) चंद्रेश अग्रवाल–आत्मज श्री बृजेश अग्रवाल,

वर्तमान में भागीदार हैं.

उक्त फर्म में दिनांक 5 फरवरी 2024 से

(1) सुधांशु अग्रवाल आत्मज श्री जवाहरलाल अग्रवाल, (2) दीपेश अग्रवाल आत्मज श्री बृजेश अग्रवाल

फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं.

वर्तमान में फर्म का नाम सत्यम प्रिंटर्स एंड पेपर कन्वर्टर्स है. जिसे उक्त दिनांक पर फर्म का नाम परिवर्तित करके मेसर्स सत्यम एनर्जीस कर दिया गया है.

(CHANDRESH AGRAWAL)

(G-547)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अर्चना (ARCHNA) पत्नी श्री प्रवीण तिवारी, निवासी–म. नं. 46, शिवओम ग्रीन पार्क, संजीव नगर, भोपाल. मेरे पुत्र गोभील तिवारी के शैक्षणिक दस्तावेज में अर्चना (ARCHANA) अंकित है. मेरे नाम अर्चना (ARCHNA) जो की सत्य एवं सही है.

पुराना नाम	नया नाम
(अर्चना)	**(अर्चना)**
(ARCHANA)	(ARCHNA)

(G-548)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बालकृष्ण चौधरी Balkrishan Choudhari S/o Shri Ganga Prasad Choudhary, R/o-Ward No.-3, Near Smrati Shankar Mandir, Pathruta, Hoshangabad, (M.P.) था, यही नाम उसके शैक्षणिक रिकार्ड एवं आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र में भी अंकित है, जिसका नाम ऑफिस रिकार्ड में गलतीवश Balkrishna Choudhary लिख दिया है. प्रकाशन उपरांत सही नाम Balkrishan Choudhari आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज किया जावे तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जायेगी.

पुराना नाम	नया नाम
(BALKRISHAN CHOUDHARY)	**(BALKRISHAN CHOUDHARI)**

(G-549)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकी (PINKI) पत्नी राजेन्द्र कुमार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का नाम प्रीति (PRITI) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, पिंकी पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम से जानी–पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम प्रीति के स्थान पर पिंकी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रीति)	**(पिंकी)**

पत्नी–राजेन्द्र कुमार,
पता–अशोक पैलेस के सामने हुजरातपुल,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-550)

नाम परिवर्तन

मैं, गीता परिहार (GEETA PARIHAR) पत्नी रविन्द्र सिंह परिहार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का नाम सीता परिहार (SITA PARIHAR) था. जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे गीता परिहार पत्नी रविन्द्र सिंह परिहार के नाम से जाना–पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे पेन कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सीता परिहार के स्थान पर गीता परिहार लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सीता परिहार)	**(गीता परिहार)**

पत्नी–रविन्द्र सिंह परिहार,
पता–13, बटालियन क्वार्टर नं. ए–18, सिकंदर कम्पू,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-551)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पहले "दुर्गाप्रसाद सूर्यवंशी" तथा जिसमें मैं, वर्तमान में अपना नाम "दुर्गेश सूर्यवंशी" कराना चाहता हूँ अर्थात मेरा नाम "दुर्गेश सूर्यवंशी" करना चाहता हूँ, जिस हेतु मुझे "दुर्गेश सूर्यवंशी" के नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

पुराना नाम
(दुर्गाप्रसाद सूर्यवंशी)

नया नाम
(दुर्गेश सूर्यवंशी)

(G-552)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो मैं, रिया तीर्थानी पति श्री सुरेश तीर्थानी यह कि मेरा विवाह श्री सुरेश तीर्थानी के साथ हुआ है, तथा विवाह के पूर्व मेरा नाम रूकमणी पंजवानी था तथा उसके समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में रूकमणी पजवानी का नाम उल्लेखित है, किन्तु विवाह हो जाने के पश्चात् अब मेरा नाम रूकमणी पजवानी की जगह रिया तीर्थानी हो गया है. जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, स्थायी निवासी एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज हो गया है और मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है.

पुराना नाम
(रूकमणी पंजवानी)

नया नाम
(रिया तीर्थानी)
निवासी–644/1, रफी अहमद किदवई वार्ड,
दुबे कॉलोनी, कटनी, जिला कटनी (म.प्र.).

(G-553)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स छोगालाल इंडस्ट्रीज फर्म जिसका पता–3–एबी इंडस्ट्रियल एरिया, हातोद, इंदौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03–27–05–0170–21, दिनांक 17–12–2021 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री छोगालाल रेकवाल पिता श्री घीसालाल रेकवाल, 2. श्री अवनीश शुक्ला पिता श्री सूर्यनारायण शुक्ला थे. तत्पश्चात् दिनांक 16–09–2022 को भागीदारी विघटन लेख द्वारा उक्त भागीदारी फर्म का विघटन हो गया है तथा उक्त फर्म प्रोप्राईटरशिप फर्म हो गयी है. जिसके प्रोप्राईटर श्री अवनीश शुक्ला पिता श्री सूर्यनारायण शुक्ला इस रहेंगे. श्री छोगालाल रेकवाल पिता श्री घीसालाल रेकवाल ने फर्म मेसर्स छोगालाल इंडस्ट्रीज से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे–For CHOGALAL INDUSTRIES,
(1. AVNISH SHUKLA, 2. CHHOGALAL REKAWAL)
Partner

(G-554)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि KRISHNA RICE MILL (कृष्णा राईस मिल) ग्राम–बनाभेडा, तह.–शाहपुर, जिला–बैतूल के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. 01–06–02–0374–24, सन् 2023–2024 दिनांक 31–01–2024 है. जिसके उपरोक्त नाम में संशोधन किया गया है. जिसके अनुसार नया नाम KRISHNA RICE MILL होगा.

For-Krishna Rice Mill,
(कौशिक अग्रवाल)
पार्टनर.

(G-555)

नाम परिवर्तन

मैं, सुमेरा खान SUMERA KHAN सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे शैक्षणिक प्रपत्रों में मेरे पिता का नाम SALEEM KHAN अंकित हो गया है. जो कि गलत है. मेरे (पिता) का नाम SHAHID ZAFAR SALEEM KHAN है. जो सही है और उनके सभी दस्तावेजों में उल्लेखित है, मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में पिता के गलत नाम के स्थान पर सही नाम लिखा और पढ़ा जाए, आमजन, सर्वजन सूचित हों.

भवदीय,
(सुमेरा खान)
174/2, जूना रिसाला चौराहा,
नेताजी सुभाष मार्ग, इंदौर (म.प्र.).

(G-556)

PUBLIC NOTICE

The General public is informed that the firm M/s. ASHOK INDUSTRIES, Address Sadar Bazar Jawad, District Neemuch (M.P.). Registration No. 2005 dated 2-2-1972. In which Mr. Piyush Chopra S/o Shri Arvind Ji Chopra, Resident of 107, Teachers Colony, Neemuch, Dist. Neemuch (M.P.) admitted as a new partner from 14-2-2024 in the firm M/s. ASHOK INDUSTRIES, Address Sadar Bazar, Jawad, District Neemuch (M.P.). Presently, there will be following partners in M/s. ASHOK INDUSTRIES are namely:-

M/s. ASHOK INDUSTRIES,

1. Arvind Chopra, 2. Himmatmal Chopra,
3. Meena Devi Chopra, 4. Satish Kumar Chopra,
5. Piyush Chopra

(G-557) (Partner).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, लखन सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह, निवासी–वार्ड नंबर–14, शासकीय स्कूल के पास, डाटखेड़ा औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज , जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम लखन सिंह है, आधारकार्ड में त्रुटिवश रेवाराम अंकित हो गया है. भविष्य में मेरे वास्तविक नाम लखन सिंह के नाम से जाना–पहचाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में लिखा एवं संबोधित किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(रेवाराम)	**(लखन सिंह)**
(REVARAM)	(LAKHAN SINGH).

(G-558)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप सिंह राय आत्मज श्री प्रभू सिंह राय, निवासी–म. नं. 23, हिमांशु शुभ सिटी, शारदा नगर, लांबाखेड़ा, तहसील हुजूर जिला–भोपाल (म.प्र.) का हूँ. मेरे पुत्र अनिरूद्ध सिंह राय (ANIRUDRA SINGH RAI) के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम कुश राय (KUSH RAI) दर्ज है. कुश राय (KUSH RAI) के स्थान पर अनिरूद्र सिंह राय (ANIRUDRA SINGH RAI) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक,
(G-559) **(प्रदीप सिंह राय)**

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप सिंह राय आत्मज श्री प्रभू सिंह राय, निवासी–म. नं. 23, हिमांशु शुभ सिटी, शारदा नगर, लांबाखेड़ा, तहसील हुजूर जिला–भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे पुत्र आदित्य सिंह राय (ADITYA SINGH RAI) के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम लव राय (LOVE RAI) दर्ज है. लव राय (LOVE RAI) के स्थान पर आदित्य सिंह राय (ADITYA SINGH RAI) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक,
(G-560) **(प्रदीप सिंह राय)**

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा पूर्व में नाम श्रीमती परमजीत कौर पति संजीव कुमार (Smt. PARAMJEET KAUR W/o SANJEEV KUMAR) था, अब मेरा नाम परिवर्तन/ बदलकर श्रीमती रोमा मल्होत्रा पति श्री संजीव कुमार मल्होत्रा (Smt. ROMA MALHOTRA W/o SANJEEV KUMAR MALHOTRA) हो गया है एवं मेरे समस्त दस्तावेज भी इसी नाम से है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती रोमा मल्होत्रा पति श्री संजीव कुमार मल्होत्रा (Smt. ROMA MALHOTRA W/o SANJEEV KUMAR MALHOTRA) के नाम से जाना पहचाना जावे.

आवेदक
(रोमा मल्होत्रा)
पति–श्री संजीव कुमार मल्होत्रा,
पता–146/2, बैराठी कॉलोनी, फ्लेट नंबर–202,
(G-561) आरती अपार्टमेन्ट, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं GAURAV LODHI पिता BHAGWAN LODHI, निवासी–71, सी सेक्टर इन्द्रपुरी भेल, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार GAURAV LODHI है. जबकि त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में CHANDRESH अंकित है. इसलिए आधार कार्ड एवं अन्य सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में नाम परिवर्तित कर GAURAV LODHI दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(CHANDRESH)

नया नाम
(GAURAV LODHI)

(G-562)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पिंकी सैनी पति महेंद्र सैनी है. पूर्व में मेरे घर का बोलता नाम मीनाबाई पुत्री रूपराम था. जो कि मेरे शासकीय अभिलेख में अंकित है. पिंकी सैनी और मीनाबाई दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम हैं. यानिकी मेरे, अतः भविष्य में सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम पिंकी सैनी पत्नी महेंद्र सैनी के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(मीनाबाई)
पुत्री--रूपराम

नया नाम
(पिंकी सैनी)
पति–महेंद्र सैनी,
पता–म.नं. 16, बायपास रोड,
लीलाधर बस्ती, भानपुर हुजूर,
भोपाल (म.प्र.).

(G-563)

नाम परिवर्तन

मैं, अजीजुन्निसां पत्नि नासिर कमाल खान, निवासी–बी–109, इन्द्रविहार, ऐयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.) मेरा घर में प्रचलित सामान्य नाम "नीलम कमाल खान" अंकित हो गया है. जबकि मेरा वास्तविक एवं प्रचलित नाम "अजीजुन्निसां" है. जो कि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों आदि में भी अंकित है. मेरा वास्तविक एवं प्रचलित नाम "अजीजुन्निसां" अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(नीलम कमाल खान)

नया नाम
(अजीजुन्निसां)

(G-564)

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was POONAM AWTANEY D/o MR. KANHAIYALAL AWTANEY After marriage I have changed my name as VINITA MOOLCHANDANI W/o MR. SUNIL MOOLCHANDANI. I will be known by the new name VINITA MOOLCHANDANI W/o SUNIL MOOLCHANDANI.

Old Name
(POONAM AWTANEY)

New Name
(VINITA MOOLCHANDANI)
Address: A, New 42, Near Sher Hathi, Building, Bairagarh, Bhopal (M.P.).

(G-565)

NOTICE

U/s. 72 of the Indian Partnership Act, 1932

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि 12/2, साउथ तुकोगंज, इंदौर की फर्म "मेसर्स सतप्रकाश इंटरप्राइजेज" ने रजि. क्रमांक 1237 वर्ष 1982–1983 इंदौर पंजीकरण दिनांक 8–11–1982 में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:–

1. यह की मेसर्स, सतप्रकाश इन्टरप्राईजेस भागीदारी फर्म का गठन भागीदार श्री कंचनसिंग जी ढल एवं श्री सुरजित सिंह भाटिया ने वर्ष 1982 में किया है तथा वर्ष 2003 में श्रीमती मनजीत कौर भाटिया फर्म में भागीदार के रूप सम्मलित

हुई तथा वर्ष 2004 में श्री कंचन सिंग जी ढल फर्म से सेवानिवृत्ति ली होकर फर्म से बाहर हो गये तथा पश्चात् में श्री सुरजीत सिंह भाटिया का निधन दिनांक 27–1–2023 को हो गया है तथा भागीदार स्वर्गीय श्री सुरजीत सिंह भाटिया के मृत्यु के पश्चात् श्रीमती पूनम भाटिया कठपाल पति श्री गौरव सिंह कठपाल को श्री सुरजीत सिंह भाटिया के निधन की तारीख से फर्म में भागीदार के रूप सम्मिलित किया गया है, जिसके संबंध में पार्टनरशिप फर्म डीड दिनांक 10–02–2023 एवं संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 4–3–2024 को निष्पादित किया गया है तथा वर्तगान में मेसर्स सतप्रकाश इन्टरप्राईजेस भागीदारी फर्म में श्रीमती मनजीत कौर भाटिया एवं श्रीमती पूनम भाटिया कठपाल भागीदार के रूप में, एक ही फर्म और एक ही व्यवसाय के लाभ और हानि को साझा करने के लिए सहमत होकर नियमित साझेदारी फर्म में व्यवसाय जारी रखने का निर्णय लिया है.

M/s Satprakash Enterprises,

(MANJEET KAUR BHATIA)

Partner.

(G-566)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स–क्रिस्टल लाइट, पता–19, ग्राउंड फ्लोर, सुभाष मार्ग, इंदौर गेट, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 07–33–01–0113–15 सन् 2014–15 दि. 20–02–2015 तक निम्नलिखित भागीदार संचालन कर रहे थेः–

1. श्री तुराब अली लाइटवाला
2. श्रीमती ज़ैनब नलवाला

दि. 26–02–2024 से 1 नए भागीदार श्री हैदर अली चक्कीवाला सम्मिलित किये गये हैं और श्रीमती ज़ैनब नलवाला पृथक् हो रही है. इस प्रकार दि. 26–02–2024 से फर्म का संचालन निम्नलिखित भागीदार कर रहे हैंः–

1. श्री हैदर अली चक्कीवाला
2. श्री तुराब अली लाइटवाला

भागीदारों ने फर्म का व्यवसाय स्थल 19, ग्राउंड फ्लोर, सुभाष मार्ग, इंदौर गेट, उज्जैन (म. प्र.) से पता परिवर्तित कर नवीन पता–15/3, प्रगति नगर, उज्जैन (म. प्र.) पर कर दिया है. अब से फर्म का यही पता प्रभावशील रहेगा.

भागीदार फर्म मेसर्स क्रिस्टल लाइट में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

वास्ते–मैसर्स क्रिस्टल लाइट

हैदर अली चक्कीवाला

(भागीदार)

पता–15/3, प्रगति नगर, उज्जैन (म. प्र.)

(G-567)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नवीनचंद्र एंड कंपनी टंकी चौराहा, ए बी रोड, शाजापुर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 07–36–01–167–21 है, दिनांक 29–08–2023 को भागीदार श्रीमती दीप्ति पटेल पति श्री कौशिक पटेल का निधन होने से उनके स्थान पर उनके पुत्र रोहन पटेल पिता श्री कौशिक पटेल को भागीदार बनाया गया. दिनांक 12–01–2024 को एक नए भागीदार जैमिन पटेल पिता श्री राजू कुमार पटेल को नया भागीदार बनाया गया एवं राजू कुमार पटेल पिता श्री विष्णु भाई पटेल अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से बाहर हो गए. दिनांक 12–01–2024 से फर्म में निम्न भागीदार फर्म का संचालन करेंगेः–

रोहन पटेल पिता श्री कौशिक पटेल, जैमिन पटेल पिता श्री राजू कुमार पटेल

उपरोक्त सभी परिवर्तन आमजन को सूचित हो.

M/s Navinchandra & Co.,

(ROAHAN PATEL)

Partner.

(G-568)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 28 फरवरी, 2024

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रामटेक,
विकासखण्ड देवरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.–2024–292.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रामटेक, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1507, दिनांक 13–10–2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी. भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रामटेक, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर / जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-569)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
बेरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरी,
विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.–2024–293.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बेरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1558, दिनांक 28–3–2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी. भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बेरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-570)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
बंगेला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंगेला,
विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि.–2024–294.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बंगेला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंगेला, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1562, दिनांक 28–3–2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी. भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंगेला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंगेला, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-571)

कारण बताओ सूचना—पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
दरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दरी,
विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.—2024—295.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दरी, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 28—3—2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः—

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.—101—क्षे.सं.—F-101—सागर—2024, दिनांक 12—2—2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99, पन्द्रह—1 सी. भोपाल, दिनांक 26—07—1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दरी,, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना—पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना—पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर / जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-572)

कारण बताओ सूचना—पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
गढ़ौली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़ौली,
विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.—2024—296.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गढ़ौली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़ौली, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1564, दिनांक 28—03—2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः—

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.—101—क्षे.सं.—F-101—सागर—2024, दिनांक 12—2—2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–7–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गढ़ौली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़ौली, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-573)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
सोठिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोठिया,
विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि.–2024–297.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सोठिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोठिया, विकासखण्ड राहतगढ, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1575, दिनांक 21–3–2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे. सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी. भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सोठिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोठिया, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-574)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
महूनागूजर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., महूनागूजर,
विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.–2024–298.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महूनागूजर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., महूनागूजर, विकासखण्ड राहतगढ, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1990, दिनांक 2–7–2019 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी. भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महूनागूजर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., महूनागूजर, विकासखण्ड राहतगढ, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर / जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-575)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गढ़रिया ढोगा,
विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.–2024–299.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गढ़रिया ढोगा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 100412, दिनांक 28–12–2020 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गढ़रिया ढोगा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-576)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
मोहारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मोहारी,
विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि.–2024–300.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मोहारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मोहारी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1390, दिनांक 9–12–2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोहारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मोहारी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-577)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
रामपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रामपुर,
विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.–2024–301.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार रामपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रामपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1427, दिनांक 20–4–2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–7–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रामपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रामपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर / जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-578)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
गर्रोली दुग्ध समिति सहकारी मर्या., गर्रोली,
विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.–2024–302.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गर्रोली दुग्ध समिति सहकारी मर्या., गर्रोली, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1434, दिनांक 20–4–2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गर्रोली दुग्ध समिति सहकारी मर्या., गर्रोली, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-579)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
बटवाहा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बटवाहा,
विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि.–2024–303.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बटवाहा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बटवाहा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1449, दिनांक 28–6–2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–7–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बटवाहा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बटवाहा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-580)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
शिवपुरी दुग्ध समिति सहकारी मर्या., शिवपुरी,
विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.–2024–304.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार शिवपुरी दुग्ध समिति सहकारी मर्या., शिवपुरी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1455, दिनांक 5–9–2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिवपुरी दुग्ध समिति सहकारी मर्या., शिवपुरी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर / जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-581)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्रशासक,
बिलगुवां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिलगुवां,
विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. / परि.–2024–305.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बिलगुवां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिलगुवां, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1523, दिनांक 11–6–2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–7–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिलगुवां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिलगुवां, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-582)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नानकपुर,
विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि.–2024–306.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नानकपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 101644, दिनांक 28–12–2020 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नानकपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-583)

कारण बताओ सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
खटौराखुर्द दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खटौराखुर्द,
विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि.–2024–307.–कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार खटौराखुर्द दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खटौराखुर्द,

विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1489, दिनांक 7–8–2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसारः–

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र.–101–क्षे.सं.–F-101–सागर–2024, दिनांक 12–2–2024 से संस्था के अकार्यशील होने की जानकारी प्रस्तुत की है. उक्त जानकारी से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए) के अनुसार सोसायटी के विरुद्ध स्वप्रेरणा से परिसमापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है. उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99, पन्द्रह–1 सी, भोपाल, दिनांक 26–07–1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खटौराखुर्द दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खटौराखुर्द, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना–पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-584) **परशराम कावड़कर,** डिप्टी रजिस्ट्रार.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश

(समक्षः–विनोद कुमार सिंह, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग ,भोपाल)

क्र.–विधि–2024–96. भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2024

प्र.क्र.–JR/BPL/MISC/2023-24/0010.

गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव,
सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल,
निवासी–अयोध्या बायपास रोड, भोपाल. ....आवेदक

विरुद्ध

1. गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव,
सहकारी संस्था मर्यादित,
द्वारा–गिरनार वैली कॉलोनी,
अयोध्या बायपास रोड, भोपाल.

2. उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं,
डी–ब्लॉक पुराना सचिवालय, भोपाल. ....अनावेदकगण

आदेश पारित, दिनांक 5–2–2024

[प्रकरण अंतर्गत धारा 18 (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960]

1. गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल (जिसे प्रकरण में आगे आवेदक संबोधित किया गया है) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित (जिसे प्रकरण में आगे अनावेदक क्रमांक–1 संबोधित किया गया है) एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल (जिसे प्रकरण में आगे अनावेदक क्रमांक–2 संबोधित किया गया है) के विरुद्ध आवेदन–पत्र न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं (म.प्र.) भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक विविध–162–2023–24 (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 80 के अंतर्गत क्रमांक–रीडर–पं.–2023–205, भोपाल, दिनांक 18–10–2023 के द्वारा संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग भोपाल की ओर 90 दिवस की समयसीमा में निराकृत करने के आदेश देते हुए अंतरित किया गया. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विविध याचिका क्रमांक 5785@ 2022 esav knśk fnukd 12&7&2023 ea}kjk ;g vkns'k fd;kgSfd "The respondent No.2 is at liberty to approach the Competent Authority in terms of Section 18 A of the Act of 1960 praying deregistration of the petitioner Society and in the event of filing of such an application, the Registrar shall deal with the controversy while extending opportunity of hearing to petitioner as well as respondent No. 2. The authority empowered under Section 18-A of the Act of 1960 is directed to take decision on the dispute which is to be raised by respondent No. 2 Society in terms of Section 18-A of the Act of 1960 within a period of 90 days from the date of production of certified copy of this order by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law."

2. प्रकरण पंजीबद्ध कर उभयपक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया. प्रकरण में दिनांक 8–11–2023, 21–11–2023, 05–12–2023, 19–12–2023, 26–12–2023 एवं 28–12–2023, 29–12–2023, 2–1–2024, 19–1–2024, 23–01–2024 तिथियां सुनवाई हेतु नियत की गई. आवेदक की ओर से श्री अनोज गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं अनावेदक क्रमांक–1 की ओर से श्री शिवाकांत यादव अधिवक्ता उपस्थित हुए. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल से पंजीयन नस्ती प्राप्त की गई. उभयपक्षों की ओर से अधिवक्तागणों ने उपस्थित होकर प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत किया.

3. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य यह है कि:–आवेदक गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक डीआरबी /1439, दिनांक 6–3–2020, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल द्वारा पंजीकृत संस्था है. जिसका कार्यक्षेत्र संस्था की उपविधि के अनुसार "गिरनार वैली परिसर कॉलोनी" की सीमा तक सीमित है. आवेदक संस्था के पंजीयन के उपरांत अनावेदक क्रमांक–1 गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल पंजीयन क्रमांक डीआरबी/102035 दिनांक 19–1–2021 उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल द्वारा पंजीकृत की गई. पंजीयन के पूर्व अनावेदक क्रमांक–2 द्वारा आवेदक संस्था को सुनवाई का अवसर दिये बिना पंजीयन कर दिया. अनावेदक क्रमांक–1 संस्था के पंजीयन की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें भोपाल, संभाग भोपाल के समक्ष प्रथम अपील की गई, जिसका प्रकरण क्रमांक –JR/BPL/78/2021-22/0023 है. उक्त प्रकरण में न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–2022 में अपील स्वीकार करते हुए अनावेदक क्रमांक–1 के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आदेशित किया गया. जिसके पश्चात् उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के प्रस्ताव दिनांक 22–2–2022 के आधार पर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक/विधि/ 2022/1316, भोपाल दिनांक 31–10–2022 के द्वारा गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक डीआरबी/102035, दिनांक 19–1–2021 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया गया. इसके पश्चात् अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा (म.प्र.) राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील क्रमांक–16/2022 की गई, जिसमें माननीय (म.प्र.) राज्य सहकारी अधिकरण के द्वारा जारी आदेश दिनांक 27–10–2022 के द्वारा संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा पारित आलोच्य आदेश को स्थिर रखते हुए अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई. जिससे व्यथित होकर अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विविध याचिका क्रमांक 5785/2022 लगाई गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 12–7–2023 के द्वारा आदेश दिनांक 27–10–2022 एवं दिनांक 11–2–2022 को निरस्त कर दिया गया तथा आवेदक को धारा 18 (क) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया. जिसके पालन में आवेदक संस्था द्वारा धारा 18 (क) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

4. आवेदक ने अपने आवेदन में यह उल्लेख किया है, कि गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन कमांक डीआरबी–1439, दिनांक 06–03–2020 के पंजीयन के उपरांत गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल पंजीयन कमांक डीआरबी–102035, दिनांक 19–01–2021 के पंजीयन की कार्यवाही उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल द्वारा अधिनियम की धारा 7 से 9 के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए पंजीयन के आदेश दिये गये. इस कार्यवाही से पूर्व उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल द्वारा आवेदक संस्था को सुनवाई तथा पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया. आवेदक ने आवेदन में यह उल्लेख किया है कि अनावेदक कमांक–1 के द्वारा की जा रही संस्था एवं सदस्यता विरोधी कार्यवाही किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर सुश्री लता गिल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 2–6–2022 के प्राप्त होने पर अनावेदक कमांक–1 संस्था के पदाधिकारियों सहित संचालक मण्डल के सदस्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया तथा सुनवाई का अवसर देने के उपरांत न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, भोपाल संभाग भोपाल को अनुशंसा सहित प्रकरण प्रेषित किया गया. न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा अनावेदक कमांक–1 संस्था को अधिनियम की धारा 18 (ए) के प्रावधानों के अंतर्गत विघटित करने के आदेश दिये गये. संस्था के पूर्व संचालक सहित अन्य सदस्यों ने लिखित कथन किया है कि कॉलोनी का मुख्य द्वार एक है, आवागमन हेतु एक ही द्वार का उपयोग कॉलोनी रहवासियों द्वारा किया जाता है. कॉलोनी के सार्वजनिक संसाधन जैसे–पार्क, पानी की टंकी, सीवेज व्यवस्था आदि भी एक है. एकमात्र डुप्लैक्स या मल्टी एरिया को अलग–अलग उपयोग करने के उद्देश्य से कार्य करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी. समस्त कॉलोनी को एवं इनके संसाधनों को सुचारू रखरखाव एवं विकास हेतु किसी एक योग्य समिति को जिम्मेदारी देना अतिआवश्यक है। गिरनार वैली परिवार रखरखाव सहकारी समिति मर्या., भोपाल वर्तमान में कॉलोनी का रखरखाव कर रही है एवं सभी रहवासी इससे संतुष्ट है. कथन के साथ कुछ रहवासियों का सहमति पत्र संलग्न किया है. मौखिक तर्क में यह बताया कि एक कैम्पस है, जिसमें डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट दोनों है, दूसरी सोसायटी बनाये रखने पर विवाद की स्थिति निर्मित होगी, सिक्यूरिटी, सीवेज, स्ट्रीट लाईट भुगतान में विवाद की स्थिति निर्मित होगी.

5. आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज लता गिल जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन का निष्कर्ष यह है कि ग्रीन वैली परिवार रहवासी संस्था के उपाध्यक्ष श्री रवि कुमार सोनी एवं अन्य द्वारा फर्जी रसीदें प्रिन्ट कराकर पूर्व पंजीकृत संस्था के नाम से सदस्यों से राशि जप्त की जाना प्रमाणित होता है. श्री रवि कुमार सोनी पूर्व उपाध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष गिरनार वैली डुप्लेक्स संस्था मर्यादित, भोपाल द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कॉलोनी के रहवासियों के साथ धोखाधडी की गई है. अतः श्री रवि कुमार सोनी एवं अन्य जिन्होनें रसीदों पर हस्ताक्षर किये हैं तथा राशि प्राप्त की है वह संस्था को तत्काल वापस करें अन्यथा उन दोषियों के विरूद्ध आगामी वैधानिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है. उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल के पत्र कमांक पंजीयन–2022/501, भोपाल, दिनांक 22–2–2022 के द्वारा एक ही कार्यक्षेत्र में दूसरी संस्था के पंजीयन के कारण गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन कमांक डीआरबी /102035, दिनांक 19–1–2021 का पंजीयन निरस्त करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.

6. अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अनावेदक गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल का निर्वाचित अध्यक्ष है. आवेदक द्वारा कपटपूर्ण ढंग से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत संस्था का गठन किया गया है कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा 2 पद महिला हेतु सुरक्षित किया जाता है. किंतु आवेदक द्वारा नजरअदांज किया गया है. आवेदक द्वारा सोनू गुप्ता तथा रमाकांत गुप्ता 2 गैर रहवासियों को सदस्य बनाकर संचालक बनाया गया. अनावेदक संस्था कॉलोनी के डुप्लेक्स हेतु निर्मित की गई है. डुप्लेक्स एवं फ्लैट दोनों अलग–अलग होते है. दोनों के मेंटेनेस अलग–अलग होते है. डुप्लेक्स में लिफ्ट की आवश्यकता नहीं होती, किंतु फ्लैट में लिफ्ट आवश्यक होती है. इसलिये दोनों के रहवासियों से एक प्रकार की वसूली एवं मेंटेनेंस संभव नहीं है. डुप्लेक्सों के विक्रय होने के

पश्चात बिल्डर द्वारा रखरखाव का कार्य परिवादी को हेंडओवर किया गया. आवेदक की समिति क्रियाशील नहीं थी, इस कारण से डुप्लेक्स रहवासियों हेतु समिति का गठन किया गया. उक्त के आधार पर आवेदक के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है.

7. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, भोपाल, संभाग भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत सभी 11 संचालकों को पत्र क्र./विधि/2024/17, भोपाल, दिनांक 5–1–2024 तथा अन्य 15 प्रवर्तक सदस्यों को पत्र क्र./विधि/2024/16 भोपाल, दिनांक 5–1–2024 के द्वारा कारण बताओं सूचना–पत्र जारी किये जाकर दिनांक 19–1–2024 को सुनवाई हेतु आहूत किया गया. सूचना–पत्र में निम्नानुसार बिन्दु निर्धारित किये गये :– (1) संस्था के संबंध में जिन प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है. (2) संस्था के कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति निर्मित हो गयी है। आवश्यक सुविधाओं के सफल संचालन में भुगतान की समस्या आ रही है. (3) अधिनियम की धारा 9 जो कि सोसायटी के रजिस्ट्रकरण से संबंधित है का प्रथम परन्तुक इस प्रकार है :–"परन्तु किसी सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जायेगा. यदि रजिस्ट्रार की राय में, उसके आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की सम्भावना हो या सम्भावना हो की उसका किसी अन्य सोसायटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा." तथा संस्था का पंजीयन करने से पूर्व पंजीकृत संस्था को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है. (4) सोसायटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है.

सभी सूचना पत्र तामिली हेतु श्री रवि कुमार सोनी, अध्यक्ष को दिये गये. श्री सोनी दिनांक 19–1–2024 को उपस्थित हुये तथा उन्होंने स्वयं उनका, डा. श्याम जायसवाल, उपाध्यक्ष, श्री रविकांत वर्मा, संचालक, श्री अजय प्रताप सिंह संचालक, तथा श्रीमती अर्चना चौहान सदस्य की तामिली का प्रमाण तथा उनके द्वारा दिये गये उत्तर स्वयं प्रस्तुत किया. उक्त कोई सदस्य/पदाधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हुये. श्री जसवीर सिंह राठौर, सदस्य उपस्थित हुये, उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी डायरेक्टर की हैसियत से हस्ताक्षर नहीं किये, उनके द्वारा त्याग–पत्र दिया जा चुका है, वह श्री सोनी की समिति में नहीं रहना चाहते. श्री रविकुमार सोनी एवं अन्य 4 सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा अपने उत्तर में अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा प्रस्तुत लिखित तक दिनांक 2–1–2024 में उल्लेखित तथ्यों को मुख्य रूप से दोहराया है.

8. श्री रविकुमार सोनी पूर्व प्रभारी अध्यक्ष गिरनार वैली डुप्लैक्स रहवासी रखरखाव सहकारी समिति मर्या., भोपाल द्वारा अवमानना याचिका सिविल न. 397/2023 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लगाया गया. जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश, महोदय द्वारा खारिज कर दिया गया.

9. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 जिसमें रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रावधान है में यह उल्लेख किया गया है कि "किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा यदि, रजिस्ट्रार की राय में, उसके आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की संभावना हो या यह संभावना हो कि उसका किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा."

10. उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भोपाल की पंजीयन नस्ती के अनुसार "गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, अयोध्या बायपास भोपाल" पंजीयन क्रमांक डीआरबी/1439, दिनांक 6–3–2020 है तथा उपविधि अनुसार संस्था का कार्यक्षेत्र "गिरनार वैली परिसर कॉलोनी की सीमा" तक सीमित है. संस्था का मुख्य उद्‌देश्य कार्यक्षेत्र के सदस्यों निवासियों द्वारा निर्मित आवास/बहु मंजिला प्रकोष्ठों के अंतर्गत सदस्यों/रहवासियों को विभिन्न मूलभूत आवश्यक सुविधायें प्रदान कराना रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराना है। कॉलोनी में प्रदाय विद्युत, जल प्रदाय की व्यवस्था, सीवेज एवं गंदे जल की निकासी एवं साफ–सफाई की नियमित रूप से समुचित व्यवस्था कराना तथा संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव की व्यवस्था आदि है.

11. "गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल" पंजीयन क्रमांक डीआरबी/102035 दिनांक 19–1–2021 है तथा उपविधि अनुसार संस्था का कार्यक्षेत्र "गिरनार वैली डुप्लेक्स की सीमा" तक सीमित है. इस संस्था उद्देश्य पूर्व गठित संस्था के उद्देश्यों के समान ही हैं. आवेदक के आवेदन, अनावेदक के लिखित तर्क, सदस्यों, पदाधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल से प्राप्त नस्ती के

अवलोकन, परीक्षण से यह स्पष्ट होता है। अनावेदक क्रमांक–1 की ओर से 25 सदस्यों / पदाधिकारियों में से कुल 9 सदस्य / पदाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया. शेष सदस्यों, पदाधिकारियों की तामिली श्री सोनी द्वारा नहीं प्रस्तुत की गयी. जबकि श्री रविकुमार सोनी, अध्यक्ष के माध्यम से सदस्यों, पदाधिकारियों को नोटिस दिया जाकर सुनवाई के लिए पर्याप्त समय दिया गया था. श्री सोनी ने आगे यह बताया कि अन्य सदस्य /संचालक नोटिस लेने के लिये तैयार नहीं है और उन्हें कुछ नहीं कहना है. यह दिखलाता है कि सदस्यों, पदाधिकारियों की सोसायटी बनाय रखने में रूचि नहीं है अथवा श्री सोनी द्वारा कतिपय कारणों से उन्हें नोटिस की जानकारी ही दी गयी। अनावेदक क्रमांक–1 ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि संस्था सदस्यों के हित में कार्य कर रही है। यह प्रमाणित होता है कि दोनों संस्थाओं के मध्य विवाद की स्थिति है. यह विवाद दोनों संस्थाओं के अस्तित्व रहने की दशा में आगे भी बना रहने की सम्भावना है. दोनों का कैम्पस एक ही है, जिसमें डुप्लेक्स एवं मल्टी स्टोरी, फ्लैट दोनों है. दोनों सिक्यूरिटी, सीवेज, गार्डन, स्ट्रीट लाईट एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान के बंटवारे को लेकर विवाद बना रहने की संभावना है. परश्चातवर्ती पंजीकृत गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी समिति मर्या., भोपाल के बने रहने पर पूर्ववर्ती पंजीकृत गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल आर्थिक रूप से कमजोर होगी तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा. यह पाया जाता है कि पश्चातवर्ती रहवासी समिति के पंजीयन से पूर्व उसके आवदेकों द्वारा पूर्ववर्ती समिति के पंजीयन की जानकारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल को नहीं दी गई थी. इस प्रकार जानकारी छिपाकर पंजीयन कराया गया. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल द्वारा पूर्व में पंजीकृत समिति को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया. गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल जिन प्रयोजनों के लिये रजिस्ट्रीकृत की गई थी. उसकी पूर्ति नहीं हो रही है. दोनों समितियों के आपसी विवाद के कारण संस्था के प्रयोजनों, उद्देश्यों की पूर्ति बाधित हो रही है. ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती पंजीकृत गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी समिति मर्या., भोपाल का पंजीयन निरस्त करना तथा उसके सभी सदस्यों को पूर्ववर्ती पंजीकृत समिति गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के सदस्य बनकर समेकित रूप से पूर्ववर्ती पंजीकृत गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के द्वारा कार्य संचालन किया जाना उचित समझता हूँ.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2010 पन्द्रह–1–8, दिनांक 23–10–2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी. 102035, दिनांक 19–1–2021 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 (क) (2) के अन्तर्गत श्री विलीन खटावकर, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था के प्रभार प्राप्त कर म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण तीन माह की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. इसके साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि गिरनार वैली परिवार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल द्वारा पश्चातवर्ती समिति अर्थात गिरनार वैली डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के सभी सदस्यों एवं अन्य रहवासियों को नियमानुसार दो माह की समय सीमा में सदस्यता प्रदान की जाये.

यह आदेश आज दिनांक 5 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-585)

विनोद कुमार सिंह, संयुक्त पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2024—फाल्गुन 25, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.